भारतीय शिक्षा प्रणाली - मुद्दे और चुनौतियाँ *

के.सी.चक्रवती

'पौधों को संवर्धन से और मनुष्यों को शिक्षा से परिष्कृत किया जाता है'।

श्री शांतनु प्रकाश, अध्यक्ष और सीइओ, एडुकॉम्प सॉल्यूशन्स लि., श्री हरप्रीत सिंह,अध्यक्ष, जेआरई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, प्रो. स्टीफन रॉलिन्सन, अकादमी अध्यक्ष, जेआरई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, श्री सिद्धार्थ मुखर्जी, डाइरेक्टर ऑफ कारपोरेट रिलेशन्स, प्रो. पंकज गुप्त, निदेशक, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, डॉ. रमेश अग्रवाल, निदेशक, जेआरई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, एमबीए प्रोग्राम की प्रथम बैच के छात्र और उनके अभिभावक, विशिष्ट आमंत्रित अतिथि, देवियो और सज्जनो।

1. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जेआरई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के कैम्पस, विशेष रूप से जेआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का उद्घाटन कर रहा हूँ जो एडुकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड और रैफल्स एडुकेशन कारपोरेशन के बीच अकादमिक साझेदारी का परिणाम है। मैं इसके लिए उन सबको बधाई भी देना चाहता हूँ जो इस उद्यम से संबद्ध रहे हैं और जेआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के पहले बैच (2011-13) के छात्रों को स्नेहपूर्ण बधाई देता हूँ।

शिक्षा की आवश्यकता और महत्व

2. जैसाकि आप जानते हैं, किसी राष्ट्र की संवृद्दि के विभिन्न चरणों में मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा, जिसमें प्रबंधन, इंजीनियरी, औषधि, आदि शामिल है, ज्ञान, गरिमा प्रदान करने और कौशल विकास करने में प्रमुख भूमिका निभाती है और इस प्रक्रिया में राष्ट्र की संवृद्धि और उत्पादकता को बढ़ाने का काम करती है। जबकि सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और उच्च शिक्षा के लिए कतिपय सुविधाएँ/आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर आने वाली उच्च लागत को देखते हुए हमें उच्च शिक्षा संस्थाओं को संचालित करने में निजी क्षेत्र का प्रवेश करना दिखाई दे रहा है।

3. शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसके संबंध में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन मैं उद्धृत करना चाहता हूँ जिन्होंने एक बार यह कहा था कि शिक्षा न केवल नयी पीढ़ी को साँचे में ढालती है बल्कि समाज की स्वयं की और उन व्यक्तियों की, जिनसे समाज बनता है, मौलिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती है। प्रसिद्ध दार्शनिक आइंस्टीन ने शिक्षा की आवश्यकता के विषय में चर्चा करते हुए इसके निम्नलिखित मूलभूत तत्वों को बतलाया किया था :

क. व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में शिक्षित करना; महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को समझना और उसका उपयोग करना।

ख. व्यक्ति को समाज के अंग के रूप में शिक्षित करना - वस्तुतः हमारा ज्ञान, हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, समाज में अन्य लोगों द्वारा तैयार किये जाते हैं, हम समाज के ऋणी होते हैं और हमारा यह दायित्व होता है कि हम भी समाज को सहयोग दें।

ग. यदि इस ज्ञान को नष्ट होने से बचाना हो तो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान को निरंतर अथक परिश्रम द्वारा नवीकृत किया जाना चाहिए। इसकी तुलना संगमरमर की उस मूर्ति से की जा सकती है जो मरुभूमि में खड़ी हो और रेत सरकने से उसके ढँक जाने की संभावना हो। इस मूर्ति की झाड़-पोंछ के लिए हमेशा हाथ उपलब्ध होना चाहिए ताकि यह हमेशा सूर्य की रोशनी में चमकती रहे।

4. शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि ज्ञान-संपदा और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में स्कूल महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। तथापि, आधुनिक विश्व में, जहाँ नवोन्मेष, और प्रौद्योगिकी विकास की बहुलता है, संस्थाओं की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। शिक्षा और शिक्षण-संस्थाओं में निवेश को आर्थिक समृद्दि के लिए निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

5. भारत में लगभग 26,478 संस्थाएँ उच्च शिक्षा प्रदान कर रही हैं और पूरे विश्व में इनकी संख्या सबसे अधिक है। तुलनात्मक दृष्टि से

* 5 अगस्त 2011 को जेआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा, में डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री एस.अरुणाचलरमणन द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए हम उनके आभारी हैं

देखा जाये, तो एक रिपोर्ट[2] के अनुसार वर्ष 2010 में उच्च शिक्षा के लिए अमरीका में केवल 6,706 स्कूल थे और चीन में इनकी संख्या 4,000 थी। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए स्कूलों की बड़ी संख्या को देखते हुए हम यह लक्ष्य बनायें कि अधिक से अधिक छात्रों को इस प्रणाली में शामिल किया जाये। मानव पूँजी, जीवन पर्यंत शिक्षण और उत्कृष्ट शिक्षा के लिए निवेश करने से समाज और राष्ट्र के विकास में मदद मिलेगी।

जनसांख्यिकीय रूपरेखा

6. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में भारत की आबादी के आयु-वर्ग में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वर्ष 2016 तक कुल आबादी का लगबग 50 प्रतिशत 15-25 वर्ष के आयु-वर्ग का हो जोगा। यह अनुमान है कि अगले 15 वर्षों में अधिसंख्यक लोग कार्य करने वाले के आयु-वर्ग में आ जायेंगे जिसके चलते उत्पादक कार्यकलापों में और बचत दर में भी बढ़ोतरी होगी, जैसाकि जापान में 1950 के दशक में और चीन में 1980 के दशक में देखा गया था दूसरे श्हरों में नौकरी के बाजार में नियोजनीय कार्यबल की संख्या में काफी वृद्धि होगी जिससे शिक्षा में तदनुरूप निवेश किये जाने की माँग बढ़ेगी। साहित्य में, जनसांख्यिकी लाभांश 15-60 वर्ष के कार्यकारी आयु-वर्ग में जनसंख्या 'अम्बार' का द्योतक होता है, जिसे आर्थिक संवृद्धि को आगे बढ़ाने में बड़े फायदे के रूप में देखा जाता है। इससे पता चलता है कि भारत के सामने प्रधान चुनौती यह है कि किस प्रकार इस लाभदायक जनसांख्यिकी प्रोफाइल को काम में लाया जाये, जो देश के समष्टिआर्थिक पैरामीटरों में प्रतिबिंबित हो।

7. जनसांख्यिकी प्रोफाइल को देखते हुए, औसत भारतीय वर्ष 2020 में केवल 29 वर्ष की आयु का होगा, जबकि चीन और अमरीका में लोग 37 वर्ष के, पश्चिमी युरोप में 45 वर्ष के और जापान में 48 वर्ष के होंगे[3]। इसीलिए भविष्य में जनसांख्यिकी प्रोफाइल से दुनिया भर में उत्पादक श्रम-बल में कमी आयेगी जबकि भारत में अतिरिक्त श्रम-बल उपलब्ध होगा। हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए इस लाभ का अपने आप रूपांतरण उच्चतर आर्थिक संवृद्धि में नहीं हो जायेगा। जनसांख्यिकी लाभ से अधिकतम फायदा उठाने के लिए हमारे नीति-निर्माताओं को शिक्षा और कौशल विकास के लिए निवेशों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में रणनीतिक हस्तक्षेप और दूरदर्शिता दिखाने की आवश्यकता होगी।

2अर्न्स्ट एंड युंग - एज 2911 रिपोर्ट

3. सी.पी.चंद्रशेखर और जयति घोष, 'इंडियन पोटेंशियल डिमोग्राफिक डिविडेंड' दि हिन्दू बिजनेस लाइन, 2006

मुद्दे और चुनौतियाँ

शिक्षा पर खर्च

8. शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, पर किये गये खर्च के संदर्भ में सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग 15,440 करोड़ रुपये खर्च किये जो वर्ष के लिए संशोधित बजट आनुमान का लगभग 85 प्रतिशत होता है। हाल में कराये गये एनएसएसओ के 66वें दौर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 1999 और 2009 के बीच देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में बढ़ोतरी 378 प्रतिशत तक हुई जबकि शहरी क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 345 प्रतिशत तक हुई। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च में अधिक वृद्धि हुई - ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों पर 63 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के परिवारों पर 73 प्रतिशत। तथापि, यदि हम शिक्षा पर किये गये खर्च का मापन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में करें तो हम पायंगे कि भारत कुछ विकसित / विकासशील देशों से इस क्षेत्र में पीछे है (सारणी 1)। हम समझते हैं कि शिक्षा में निवेश में इस कमी को संभवतः निजी क्षेत्र द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका से पूरा किया जा सकता है।

स्रोत यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम

9. भारत में इस समय लगभग 11.86 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा की विविध विधाओं में नामांकित हैं, जिसमें व्यवसाय-प्रबंध[4] शामिल है। विविध विधाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों की बड़ी संख्या के बावजूद हमने उत्पादकता में किसी बड़े बदलाव को नहीं देखा है क्योंकि कौशल और प्रतिभा आर्थिक कायर्कलापों में मदद करने में अपूर्ण होते हैं और इसीलिए इन शिक्षित व्यक्तियों की नियोजनीयता के संबंध में गंभीर चिंता होती है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) वर्ष 2010 में 12 प्रतिशत था। तथापि, नामांकन-स्तर में भिन्न-भिन्न राज्यों में अंतर देखा जाता है। हमें यह मानने की भी आवश्यकता है कि हमारा नामांकन स्तर अनेक अन्य देशों से काफी

सारणी 1 : शिक्षा पर खर्च

देश	शिक्षा पर खर्च जीडीपी के % के रूप में	देश	शिक्षा पर खर्च जीडीपी के % के रूप में
स्विट्जरलैंड	5.8	दक्षिण अफ्रीका	5.3
अमरीका	5.7	थाइलैंड	5.2
फ्रांस	5.6	चिली	4.2
यूके	5.3	ब्राजील	4.2
मलयेशिया	8.1	भारत	4.1
मेक्सिको	5.3	रूस	3.8

टिप्पणी : शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में (2000-2002)

स्रोत : यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम

[4] स्टैटिस्टिक्स ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, भारत सरकार 2008-09

चार्ट 1 : उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (2007)

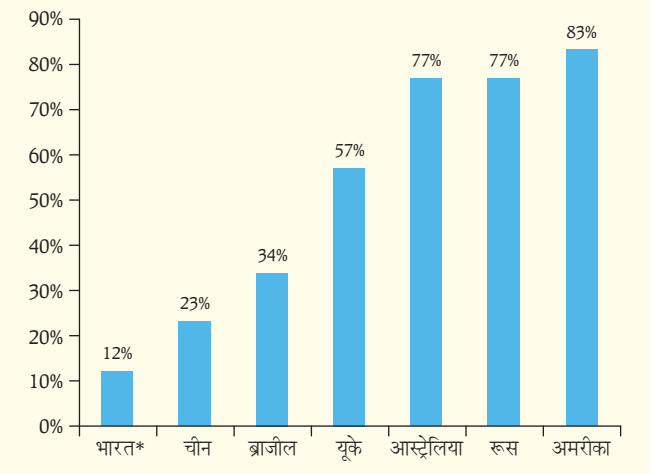

*2010

स्रोत : यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन डाइजेस्ट 2009 ; अर्न्स्ट एंड युंग एनेलिसिस

चार्ट 2 : राज्यों में क्षमता-उपयोग

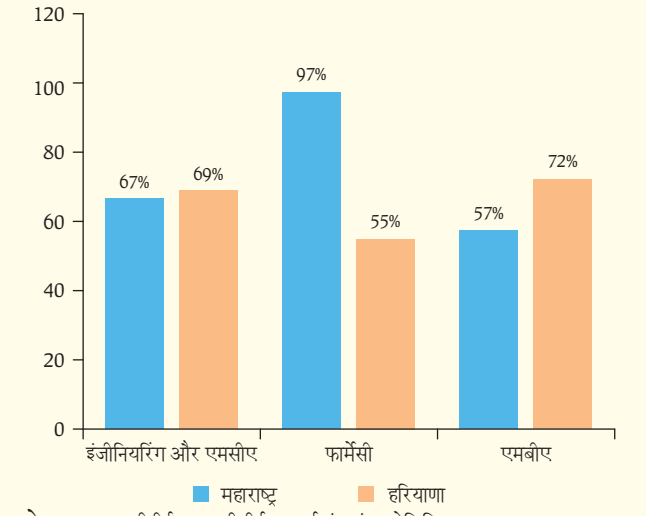

स्रोत : महाराष्ट्र डीटीई, एआइटीसीई; अर्न्स्ट एंड युंग एनेलिसिस

नीचे है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में जीइआर 23 प्रतिशत है, जबकि ब्राजील में यह 34 प्रतिशत, यूके में 57 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया और रूस दोनों में 77 प्रतिशत और अमरीका में 83 प्रतिशत है (चार्ट 1) इस संदर्भ में, सरकारी अधिकारियों का यह प्रयास कि वर्ष 2020 तक छात्रों की संख्या बढ़ायी जायेगी ताकि जीइआर 30 प्रतिशत हो जाये, एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसमें संदेह नहीं कि जेआरइ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जैसे बड़े संस्थानों को आरंभ करना भारत में जीइआर बढ़ाने की चुनौती के लिए उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकता है। एक सकारात्मक कदम के रूप में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए सरकार ने राज्यों को शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित करने /मौजूदा संस्थाओं का विस्तार करने, 8 विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, कालेजों का विस्तार करने, ताकि 1 लाख छात्रों को नामांकित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उन प्रदेशों में मॉडल कालेजों की स्थापना करने के लिए जो जीइआर के राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, प्रेरित करने की पहल की है।

क्षमता उपयोग

10. भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की जिस अन्य चुनौती पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह है क्षमता उपयोग में सुधार लाना। उदाहरण के लिए, भारत में उच्च शिक्षा के लिए क्षमता उपयोग के संबंध में हाल में किये गये एक अध्ययन[5] में बताया गया है कि एमबीए के मामले में क्षमता उपयोग महाराष्ट्र में 57 प्रतिशत और हरियाणा में 72 प्रतिशत है (चार्ट 2)। कुछ राज्यों में संस्थाओं में अनेक सीटें खाली हैं। एक ओर हमें जीइआर में सुधार लाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर हमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गयी संस्थाओं /कालेजों /स्कूलों द्वारा क्षमता-सृजन का पूरा उपयोग किया जा सके।

बुनियादी सुविधाएँ

11. स्थापित की जाने वाली /नयी संस्थाओं /कालेजों (सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में) में क्षमता उपयोग की गति धीमी क्यों है इसका एक कारण संस्थाओं का संचालन करने के लिए आवश्यक भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान करने की उनकी असमर्थता है। बेहतर गुणवत्ता वाली संस्थाओं की श्रेणी में आने के लिए वांछनीय बुनियादी सुविधाओं में शामिल हैं स्थावर संपदा, अत्याधुनिक शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, छात्रावास, फर्नीचर, खेल-कूद की सुविधा, परिवहन, वाणिज्यिक भवन, आदि। उत्कृष्ट भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए हमें कालेजों की स्थापना में अराजनीतिक निजी क्षेत्र सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

पीपीपी मॉडल

12. सरकार विविध पैरामीटरों यथा, जीइआर, गुणवत्ता, निवेश, आधारभूत संरचना आदि के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली में विकास के लिए प्रयत्न कर रही है। लेकिन हमें उन बाधाओं को पहचानना होगा जो भारी निवेश के साथ शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में सरकार के सामने हैं। मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र ने भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए स्पष्ट भूमिका निभाना आरंभ कर दिया है। इस संदर्भ में यह लाभदायक होगा कि शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की संभावना की तलाश की जाये। इससे न केवल सरकार पर बुनियादी सुविधाएँ

[5] अर्न्स्ट एंड युंग - एज 2911 रिपोर्ट;

प्रदान करने में अधिक खर्च का बोझ कम होगा बल्कि अत्याधुनिक भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, आदि का निर्माण भी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों /कालेजों और कारपोरेटों के बीच सहयोग से संयुक्त अनुसंधान और विकास में मदद मिलेगी, छात्रों को इंटर्नशिप के संदर्भ में औद्योगिक कार्यकलापों में भाग लेना सुविधाजनक होगा, अवकाश के दिनों में वे कारपोरेट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और इंटर्नशिप / प्रशिक्षण के लिए उन्हें कारपोरेटों द्वारा प्रमाणपत्र दिये जायेंगे और इस प्रकार संस्थाओं का छवि-निर्माण और ब्रांडिंग हो सकेगी और छात्रों को काम करने के लिए अधिक योग्य बनाया जा सकेगा।

छात्र-शिक्षक अनुपात

13. भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने की एक अन्य चुनौती छात्र-शिक्षक अनुपात की है। भारत में यह अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, जबकि उन्नत देशों में यह अनुपात 11.4 का है, भारत में यह 22.0 पर अधिक अधिक है। यह अनुपात सीआइएस (10.9), पश्चिम एशिया (15.3) और लैटिन अमरीका में (16.6) पर कम है (चार्ट 3)। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि हम उत्कृष्ट शिक्षकों की भर्ती करें और कक्षाओं का संचालन करने के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ायें। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि उन्नत देशों की तरह जहाँ छात्रों को अंशकालीन अध्यापन कार्य सौंपे जाते हैं, हम भी तकनीकी /उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, ताकि न्यून स्तर की कक्षाओं का संचालन किया जा सके। यह उम्मीध भी है कि छात्रों को अपना शिक्षण व्यय अंशतः पूरा करने में इससे मदद मिलेगी।

चार्ट 3 :दुनिया में छात्र-शिक्षक अनुपात (2008)

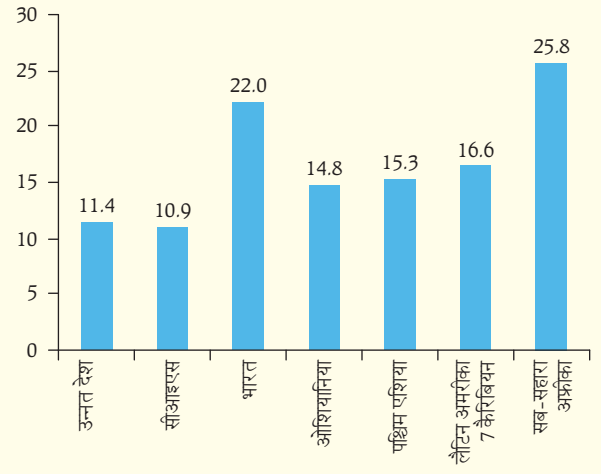

स्रोत : 'हायर एजुकेशन इन इंडिया', यूजीसी रिपोर्ट, 2008; यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स; ईवाई एनेलिसिस

प्रत्यायन और ब्रैंडिंग - गुणवत्ता मानक

14. हमारे बहुसंख्यक जनसाधारण के कौशल और प्रतिभा को उन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और मानकों को ऊपर उठाएँ। यह सर्वविदित है कि हमारे यहाँ अनेक पेशेवर व्यक्ति (इंजीनियर /डॉक्टर /प्रबंध-व्यावसायिक) वैश्वीकृत जगत में अनेक अवसर उपलब्ध रहने के बावजूद बेरोजगार रह जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारक होता है उत्कृष्ट शिक्षा की कमी जिसके परिणामस्वरूप योग्यताप्राप्त लेकिन अनियोजनीय कोटि के व्यक्ति बच जाते हैं। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विश्वविद्यालयों /कालेजों के श्रेणी-निर्धारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र आरंभ /क्रियान्वित करें। इस समय भारत में संस्थाओं /कालेजों के लिए मान्यता प्राप्ति की बाध्यता नहीं है। उच्च ज्ञान के लिए पहले से ही मान्यता प्राप्ति का अस्तित्व है। तथापि हमें ऐसी पात्रता-निर्धारण एजेंसियो की आवश्यकता है जो विश्वविद्यालयों /कालेजों /स्कूलों को प्रत्यायन प्रदान करें। विश्व-स्तर पर व्यावसायिक स्कूलों के फाइनैंशियल टाइम्स द्वारा हाल में दिये गये श्रेणी-निर्धारण में शीर्ष पंद्रह स्कूलों में वर्ष 2011 के लिए भारत के केवल दो प्रमुख व्यावसायिक स्कूलों को श्रेणी संख्या 11 और 13 पर स्थान दिया गया है। उच्च श्रेणी के अधिकांश व्यावसायिक स्कूल अमरीका में हैं। इस श्रेणी-निर्धारण में चीन को भी भारत से आगे रखा गया है। इसी रिपोर्ट में इन दो स्कूलों के लिए खर्च किये गये धन की उपयोगिता के संदर्भ में यह पाया गया कि अमरीका के कुछ सर्वोत्तम स्कूलों के साथ तुलना करने पर यह उपयोगिता कम पायी गयी। तथापि, एक सकारात्मक पहलू यह है कि इन उच्च श्रेणी के भारतीय स्कूलों में ऐसे संकाय-सदस्य हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है और जो विश्वस्तरीय मानकों को पूरा करते हैं तथा छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्वाक्युरेली साइमंड्स द्वारा वर्ष 2010 में विश्वविद्यालयों का श्रेणी-निर्धारण करने पर 200 विश्व-विख्यात विश्वविद्यालयों में से केवल एक भारतीय शिक्षण-संस्था को सूची में स्थान दिया गया है जबकि सूची में उल्लिखित 53 संस्थाएँ अमरीका में हैं। वर्ष 2011 के लिए वेबोमेट्रिक्स के श्रेणी-निर्धारण के अनुसार, जबकि कोई भारतीय विश्वविद्यालय इस श्रेणी में उल्लिखित नहीं किया गया है, सूची में 99 अमरीकी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर को विकसित करने में हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए हमें ऐसी और भी संस्थाओं की, जो कतिपय वैश्विक श्रेणी-निर्धारण मानकों को पूरा करती हों, उन क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता है जहाँ न्यून जीइआर है। मैं समझता हूँ कि जेआर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना एशिया-पैसिफिक के सबसे बड़े शिक्षा-समूह के सहयोग से की गयी है और इसीलिए विश्व-स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रयास करना इसका प्रधान लक्ष्य होगा।

विदेश में अध्ययन करने वाले छात्र

15. जैसाकि मेरे भाषण के आरंभ में उल्लेख किया गया है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक है। इसके बावजूद हम यह पाते हैं कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रुचि रखने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। एक विकीपीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2006 में 1.23 लाख छात्रों ने विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना, जिनमें से 76,000 छात्रों ने अमरीका को अपने गंतव्य स्थान के रूप में चुना, जिसके बाद यूके, कनाडा और आस्ट्रेलिया का स्थान आता है। तथापि, वर्ष 2010-11 में लगभग 1.03 लाख छात्र अमरीका में अध्ययन के लिए प्रवेश पा सके। आस्ट्रेलिया के संबंध में भी यह संख्या बड़ रही है। वर्ष 2004 से 2009 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या 30.000 से बढ़ कर 97,000 हो गयी। इसी प्रकार, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूके को अपना गंतव्य स्थान चुनने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 1999 और 2009 के बीच दुगुनी हो गयी। वर्ष 2009 में लगभग 19,205 छात्र यूके में अध्ययन कर रहे थे। वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले कर विदेश में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करने में अनेक कारकों का योगदान होता है, जिनमें (क) शिक्षा की गुणवत्ता, (ख) बढ़ती समृद्धि और आकांक्षाएँ और (ग) समाज में प्रतिष्ठा और प्रभाव तथा अर्जित अनुभव सम्मिलित हैं। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करते समय हमें इन कमियों को पहचानना होगा।

आरबीआई और वाणिज्य बैंकों की भूमिका

16. अब मैं शिक्षा-प्रणाली को सुदृढ़ करने में रिज़र्व बैंक और भारत की बैंकिंग प्रणाली द्वारा निभायी गयी भूमिका की चर्चा करूँगा। आर्थिक विकास और रहन-सहन के समग्र स्तर के लिए शिक्षा के महत्व को महसूस करते हुए रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली द्वारा शिक्षा के लिए उधार देने के संबंध में प्रगामी और सक्रिय दिशा-निर्देशों का निरूपण करने में लगा हुआ है।

- शिक्षा के महत्व की दृष्टि से और अधिकाधिक छात्रों को 'शिक्षा ऋण' दिये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर रिज़र्व बैंक ने भारत में अध्ययन करने के लिए व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक और विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपये तक शैक्षिक प्रयोजनों के लिए ऐसे ऋण और अग्रिमों को ' प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किया है।
- जून 2004 में 'आधारभूत संरचना उधार' की परिभाषा के क्षेत्र को बढ़ाया गया और उसमें शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण को शामिल किया गया। तदनुसार, अब स्कूल और कालेज अपनी आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बैंक-वित्त का उपयोग कर सकते हैं। उपलब्ध आँकड़े (जिसमें 'आधारभूत संरचना' की श्रेणी के अंतर्गत उधार देने वाले लगभग 63 प्रतिशत बैंक शामिल हैं) बताते हैं कि वाणिज्य बैंकों के कुल आधारभूत संरचना उधार में शैक्षिक संस्थाओं को बकाया ऋण का हिस्सा मार्च 2011 के अंत में 1.5 प्रतिशत था।
- रिज़र्व बैंक विदेश की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों को उदार बनाता रहा है। कोई छात्र विदेश जाते समय निजी दौरा कोटे के अंतर्गत 10,000 अमरीकी डॉलर की समतुल्य विदेशी मुद्रा का आहरण कर सकता है। विदेश में शिक्षा के लिए घोषणा के आधार पर 30,000 अमरीकी डॉलर की सीमा को बढ़ा कर 17 जुलाई 2003 से 1,00,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, कोई छात्र उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत शिक्षा के प्रयोजन के लिए 2,00,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा का आहरण देश छोड़ने के पहले अर्थात अनिवासी हैसियत प्राप्त करने के पूर्व, कर सकता है। अध्ययन के प्रयोजन के लिए छात्र विदेश में किसी बैंक से ऋण किसी भारतीय बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत दी गयी प्रति-गारंटी के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।
- बैंकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, भारतीय बैंक संघ द्वारा वर्ष 2001 में शैक्षिक ऋण के लिए एक मॉडल योजना प्रकाशित की गयी जिसे जनवरी 2010 में संशोधित किया गया और कार्यान्वयन के लिए सभी बैंकों को परिचालित किया गया। इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अनुसूचित बैंकों से संशोधित आसान मानदंडों के साथ शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। हाल के वर्षों में वाणिज्य बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण के वितरण में उल्लेखनीय तेजी देखी गयी है। बकाया शिक्षा-ऋण की राशि मार्च 2009 के अंत में 27,709 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2011 के अंत में बढ़ कर 42,808 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 2)।

सारणी 2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का शिक्षा-ऋण

विवरण	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011
बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	27,709.5	36,359.7	42,808.1
खातों की संख्या (लाख में)	16.3	19.7	22.8

- हमने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति सभी प्रकार के शैक्षिक ऋण संबंधी मुद्दों /शिकायतों के प्रयोजनार्थ की है।
- नीति-निर्माण के अतिरिक्त, एक संस्था के रूप में भी रिज़र्व बैंक ऐसे कार्य करता है जिससे कि छात्रों को केंद्रीय बैंकिंग, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के संबंध में शिक्षित किया जा सके। निदर्शनात्मक रूप में युवा-छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक योजना आरंभ की गयी है जिसमें प्रत्येक वर्ष देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में छात्रों का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है।

भावी मार्ग

अपेक्षित नवोन्मेष

18. लाखों-करोड़ों युवकों को शिक्षित करने की चुनौती का यह अर्थ है कि हमें अपने शैक्षिक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है, बावजूद इसके कि दुनिया में उच्च शिक्षा के संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या हमारे देश में है। श्री शांतनु प्रकाश ने आज एक और संस्थान की स्थापना की है लेकिन हमें ऐसे और अधिक केंद्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाना तब तक संभव नहीं है, जब तक कि छात्र सफल नहीं होते, समाज में मूल्य-सृजन नहीं करते और वापस अपने कालेज में योगदान नहीं करते, स्वयं विश्व-स्तरीय नये संस्थानों की शुरुआत नहीं करते।

19. कुछ कालेजों /विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम न्यूनाधिक पुराने पड़ चुके हैं और वे छात्रों को आवश्यक कौशल से सज्जित नहीं करते या नवीनतम ज्ञान प्रदान नहीं करते। यदि कोई छात्र किसी चुने हुए पाठ्यक्रम में परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे श्रम शक्ति के रूप में नियोजन-योग्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से, शैक्षिक पाठ्यक्रम में तकनीकी ज्ञान की उल्लेखनीय कमी को देखते हुए छात्रों में वांछित कौशल और तकनीकी ज्ञान का अभाव पाया जाता है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, हमें स्कूलों /कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ किये जाने के बारे में सोचना होगा। मैं विश्वविद्यालयों /स्कूलों /कालेजों से अनुरोध करता हूँ कि वे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए अपने पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से संशोधन किया करें ताकि पाठ्यक्रम ज्ञान के विकास की अगुआई कर सकें। पुनः, हम क्यों अपनी उपलब्ध आधारभूत संरचना का उपयोग अधिक गहनता से नहीं कर सकते हैं ? उदाहरण के लिए, पाठ्यक्रम की एक दूसरी शाखा, जैसेकि व्यावसायिक शाखा, क्यों नहीं संध्याकालीन /रात्रि-सत्र में चलायी जा सकती है ताकि उपलब्ध /स्थापित आधारभूत संरचना का बेहतर उपयोग हो सके।

20. किसी भी नवोन्मेषी समाज के लिए शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं क्योंकि शिक्षकों का ज्ञान और कौशल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि अनुसंधान और नवोन्मेष की संभावना में भी सुधार लाता है। वर्ष 2020 तक जीइआर के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लक्ष्य को देखते हुए युवकों को शिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। हो सकता है कि छात्रों का उपयोग शिक्षकों के रूप में किया जाये, विशेष रूप से निम्न आय-वर्ग से आने वाले अच्छे छात्रों का उपयोग शिक्षकों के रूप में किया जाये ताकि उनकी आंशिक रूप में क्षतिपूर्ति की जा सके। पुनः, कुछ अग्रणी स्कूलों / विश्वविद्यालयों /स्वायत्त शिक्षण संस्थाओं को छोड़ कर, कालेजों /विश्वविद्यालयों के अनेक शिक्षकों को अपने कौशल /प्रतिभा को तीक्ष्ण बनाने की आवश्यकता होगी। यह आवश्यक होगा कि शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे सेमीनारों /कार्यशालाओं / सम्मेलनों में शोध-पत्र प्रस्तुत करते हुए भाग लें और समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि वे अपने ज्ञान / कौशल को अद्यतन बनाये रख सकें। इतना ही महत्वपूर्ण यह बात भी है कि विश्वविद्यालयों / कालेजों में छात्रों से प्रतिसूचना प्राप्त करने का तंत्र आरंभ किया जाये ताकि संस्थागत विकास की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका का निर्धारण और मूल्यांकन किया जा सके।

शिक्षा की गुणवत्ता

21. यह देखते हुए कि 21वीं शताब्दी में हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मुकाबला करने की आवश्यकता है, हमारी शिक्षा-प्रणाली को कतिपय बेंचमार्किंग तकनीक अपनानी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालयों /कालेजों में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण मॉडलों और प्रशासनिक क्रियाविधियों में सुधार लाया जा सके। मेरा सुझाव है कि हमें अन्यत्र कार्यान्वित किये गये मॉडलों का आद्योपांत अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए और हमारी प्रणाली में ऐसे मॉडलों को अपनाने की रणनीति तैयार करनी चाहिए। मेरी राय में, बेंचमार्किंग से हम शिक्षा-प्रणाली को रि-इंजीनियरिंग, उद्देश्यों को ठीक करने, आदि के संदर्भ में फायदा पहुँचा सकेंगे।

22. देश आर्थिक संवृद्धि के पैटर्न में सुसंगति दर्शा रहा है जो सूचना और प्रौद्योगिकी, विविध आर्थिक कार्यकलापों के आधुनिकीकरण के संदर्भ में विश्व की अगुआई कर रहा है और अर्थव्यवस्था के उद्योग एवं सेवा-क्षेत्र के हिस्से को बढ़ा रहा है लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार आवश्यक है और वह है 'शिक्षा प्रणाली' का क्षेत्र। जबकि यह सच है कि देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ निवेश किये जा रहे हैं, हमें अभी भी विश्व-स्तर की अनुसंधान सुविधाएँ स्थापित करनी हैं, विश्वविद्यालयों /कालेजों /अनुसंधान संस्थाओं, आदि में पारंगत विद्वानों की भरती करनी है ताकि आर्थिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी रह कर आगे बढ़ा जाये। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि जैसे देश शिक्षा प्रणाली में निवेश करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि हमारी शिक्षण-संस्थाएँ वांछित गुणवत्ता और मानकों से सज्जित हों जो युवा श्रमिकों को उत्पादक श्रमिकों में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक होते हैं। यह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों के कारगर ज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है ताकि वैश्वीकृत जगत में हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रह सकें।

शिक्षा को सुलभ बनाना

23. भारत में, यदि शिक्षा को सभी सुपात्र छात्रों तक पहुँचाना है तो इसे सस्ता बनाया जाना चाहिए। भारत में सरकार के स्वामित्व वाली/ प्रायोजित संस्थाओं में शिक्षा-शुल्क कम होता है। तथापि कुछ निजी क्षेत्र की संस्थाओं में, जिन्हें शिक्षण-शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है और कतिपय राज्य सरकारों के व्यापक दिशा-निर्देशों के बावजूद शिक्षा-शुल्क इतना अधिक होता है कि उसे दे पाना निर्धन और सुपात्र छात्रों के बूते के बाहर होता है। आदर्शतः शिक्षण-शुल्क के ढाँचे में आर्थिक रूप से कमजोर इस प्रकार के छात्रों के लिए परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं शिक्षा प्रदान करने वालों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे यह बात ध्यान में रखें कि शिक्षा को प्रतिबंधात्मक रूप से खर्चीला नहीं बनाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी सुपात्र अभ्यर्थी को दाखिला देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जाता कि उसके पास आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

शिक्षा में नैतिक सिद्धांत

24. मेरी राय में किसी भी शिक्षण-संस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के अतिरिक्त उन्हें नैतिक मूल्यों से सज्जित करना होता है। आज मैं यह पाता हूँ कि यह बुनियादी मानवीय गुण धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है। निदर्शनात्मक रूप से, जबकि रिज़र्व बैंक और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रगामी नीतियाँ बना रहे हैं कि शिक्षा के लिए धन कोई बड़ी समस्या नहीं बने, मैं यह देखता हूँ कि छात्रो द्वारा ऋण की चुकौती के संबंध में कुछ चिंतनीय प्रवृत्ति का प्रदर्शन हो रहा है। यह नोट किया जा सकता है कि ऋण के देय होने पर उसकी चुकौती नहीं की जाये तो बैंकों की अनर्जक आस्तियाँ बढ़ेंगी और इस प्रक्रिया में बैंक शिक्षा-ऋण स्वीकृत करने में संशयी हो सकते हैं। इसलिए, यह बात महत्वपूर्ण है कि चुकौती-अनुसूची का पालन उन छात्रों द्वारा किया जाये, जिन्होंने ऋण लिया हो। यह समझा जाता है कि सभी सुपात्र छात्रों को शिक्षा-ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार शिक्षा-ऋण सुनिश्चित करने की एक प्रणाली स्थापित करने के मुद्दे की जाँच-पड़ताल कर रही है। शिक्षा-ऋण की चुकौती में चूक को कम करने के लिए, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि स्कूलों के पूर्व छात्र संघों को सक्रिय हो कर छात्रों के मन में नीति और मूल्य संबंधी बातें बिठानी चाहिए। वे बकाया शिक्षा-ऋण के चुकता नहीं किये जाने से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अपेक्षित सहक्रिया और संयोजन प्रदान कर सकते हैं।

25. इसी प्रकार जिस तरह से शिक्षा को सभी सुपात्र और निर्धन छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाना है, उसी तरह शिक्षण संस्थाओं के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि वे शिक्षा का बहुत अधिक व्यवसायीकरण न करें अपितु शिक्षा के व्यवसाय में भी नैतिक मूल्यों को बरकरार रखें। यह ऐसी बात नहीं है कि व्यवसाय को अलाभकर होने पर भी चलाया जाना है बल्कि व्यवसाय को नैतिक मूल्यों के साथ चलाया जाना है ताकि शिक्षण संस्थाएं सुदृढ़ हो सके। अति शोषण से बचा जाना चाहिए। यह व्यवसाय चलाने के लिए लाभ को एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता है। इसे समाज के प्रति अटल प्रतिबद्धता से प्रेरित होना चाहिए जो बदले में व्यवसाय के लिए दीर्घावधि में लाभप्रद होगा।

उपसंहार

26. सारांश रूप में कहा जा सकता है कि हमें इस तथ्य को पहचानना होगा कि हमारे युवा और गतिशील श्रमिकों का ज्ञान, कौशल और उत्पादकता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मेरुदंड के समान है। ऐसे युवा श्रमिकों से लाभ लेने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता होगी और उत्पादकता के नये कारकों यथा, ज्ञान, कौशल एवं प्रौद्योगिकी को आगे लाना होगा जिनमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक सीमाओं को सर्वाधिक दक्ष एवं गत्यात्मक तरीके से आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। पश्चिम से सबक लेते हुए भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह 'ज्ञानसंपन्न अर्थव्यवस्था' बने, ताकि समावेशी वृद्धि का संवर्धन किया जा सके। अतः, मैं ऐसे तीन प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित

करना चाहूँगा जिन पर यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ है और वैश्विक मानकों को पूरा करती है :

i. शिक्षा की गुणवत्ता - आधारभूत संरचना, शिक्षकों, प्रत्यायन, आदि के संदर्भ में।

ii. शिक्षा को सुलभ बनाया जाना - यह सुनिश्चित करना कि निर्धन और सुपात्र छात्रों को शिक्षा प्रदान करने से इनकार नहीं किया जाता।

iii. शिक्षा में नैतिक मूल्य - शिक्षा प्रणाली के अति व्यवसायीकरण से बचना।

इस अवसर पर मैं पुनः जेआरई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स को जेआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना करने के लिए बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह 21वीं सदी में भारतीय शिक्षा प्रणाली में युवा छात्रों को वहनयोग्य खर्च पर विश्व-स्तर की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा और सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त करेगा।